भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1194
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा राहत कार्यों के लिए निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र

1194 # श्री बृज लाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सहायता जारी करने के लिए कोई समय-सीमा या प्रक्रियात्मक मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनडीआरएफ या अन्य आपदा प्रबंधन निधियों से प्राप्त सहायता के लिए एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार,आपदा प्रबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर,भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार,पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं।राज्य के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए,स्थापित प्रक्रिया के अनुसार,'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में,राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ दिशानिर्देशों में परिकल्पित स्थापित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है,जो मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1194, दिनांक 10/12/2025

एसडीआरएफ का केंद्रीय हिस्सा दो समान किस्तों में जारी किया जाता है,पहली जून में और दूसरी दिसंबर में,बशर्ते दिशानिर्देशों की शर्तें पूरी हों,जिनमें पहले जारी की गई धनराशि जमा करने और व्यय विवरण से संबंधित जानकारी शामिल है। एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश के लिए धनराशि का आवंटन नहीं है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार,एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की गणना के लिए त्रि-स्तरीय प्रणाली अपनाई जाती है। सबसे पहले, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा मौके पर ही आकलन किया जाता है,जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ संबंधित राज्य के अधिकारी भी शामिल होते हैं। इसके बाद आईएमसीटी की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति द्वारा विचार किया जाता है,जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करते हैं और जिसमें विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके बाद,माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा एससी-एनईसी की सिफारिशों पर विचार किया जाता है और उन्हें अनुमोदित किया जाता है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री,केंद्रीय कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य होते हैं। एचएलसी के अनुमोदन के बाद एनडीआरएफ से अतिरिक्त धनराशि जारी की जाती है।

एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ की योजना के अनुसार,राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि एसडीआरएफ (एनडीआरएफ से केंद्रीय सहायता सहित) से प्राप्त धनराशि का उपयोग वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए जिनके लिए इसे जारी किया गया था,तथा इसका उपयोग केवल व्यय मदों पर और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार किया जाए।राज्य महालेखाकार को सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार व्यय की निगरानी करनी होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,एसडीआरएफ योजना के अनुसार,हर साल एसडीआरएफ का लेखा-परीक्षण करते हैं।

*****